

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 280]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 10 जुलाई 2019—आषाढ़ 19, शक 1941

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 10 जुलाई 2019

क्र. 11817-167-इक्कीस-अ(प्रा.)-अधि.-मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 19 जून 2019 को राज्यपाल महोदया की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ७ सन् २०१९

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अधिनियम, २०१९**विषय-सूची.****धाराएं :**

१. संक्षिप्त नाम.
२. धारा १२ का संशोधन.
३. धारा १७ का संशोधन.
४. धारा २० का संशोधन.
५. धारा २३ का संशोधन.
६. धारा २५ का संशोधन.
७. धारा २७ का संशोधन.
८. धारा ३० का संशोधन.
९. धारा ३२ का संशोधन.
१०. धारा ३४ का संशोधन.
११. धारा ३८ का संशोधन.
१२. धारा ४९-क का संशोधन.
१३. धारा १२५ का संशोधन.
१४. धारा १२६ का संशोधन.
१५. धारा १२७ का संशोधन.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ७ सन् २०१९

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अधिनियम, २०१९

[दिनांक १९ जून, २०१९ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १० जुलाई, २०१९ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अधिनियम, २०१९ है.

संक्षिप्त नाम.

२. मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ (क्रमांक १ सन् १९९४) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा १२ में, विद्यमान द्वितीय परन्तुक में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कॉलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात्:-

धारा १२ का संशोधन.

"परन्तुक यह भी कि यदि ग्राम पंचायत की बची हुई कालावधि छह माह से कम है तो वार्डों का परिसीमन प्रभावी नहीं होगा."

३. मूल अधिनियम की धारा १७ में, उपधारा (७) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:-

धारा १७ का संशोधन.

"(७) यदि कोई सरपंच या उपसरपंच या पंच, संसद के किसी भी सदन का सदस्य या राज्य विधान सभा का सदस्य या किसी सहकारी सोसायटी का सभापति या उपसभापति या किसी नगरपालिक निगम, नगरपालिका या नगर परिषद् का महापौर या अध्यक्ष या पार्षद हो जाता है, तो उसके संबंध में यह समझा जाएगा कि उसने यथास्थिति, सरपंच या उपसरपंच या पंच के रूप में अपना पद उस तारीख से रिक्त कर दिया है जिसको कि ऐसा व्यक्ति शपथ लेता है या ऐसे अन्य पद का प्रभार ग्रहण करता है और यह समझा जाएगा कि ऐसे पूर्ववर्ती पद में धारा ३८ के प्रयोजन के लिए आकस्मिक रिक्त हो गई है."

४. मूल अधिनियम की धारा २० में, उपधारा (१) में, अंक तथा शब्द "३० दिन" के स्थान पर, अंक तथा शब्द "१५ दिन" स्थापित किए जाएं.

धारा २० का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा २३ में, उपधारा (१) में, विद्यमान द्वितीय परन्तुक में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कॉलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात्:-

धारा २३ का संशोधन.

"परन्तु यह भी कि यदि जनपद पंचायत की बची हुई कालावधि छह माह से कम है तो निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन प्रभावी नहीं होगा."

६. मूल अधिनियम की धारा २५ में, उपधारा (५) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:-

धारा २५ का संशोधन.

"(५) यदि किसी जनपद पंचायत का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्य, संसद के किसी भी सदन का सदस्य या राज्य विधान सभा का सदस्य या किसी सहकारी सोसायटी का सभापति या उपसभापति या किसी नगरपालिक निगम, नगरपालिका या नगर परिषद् का महापौर या अध्यक्ष या पार्षद हो जाता है, तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने यथास्थिति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में अपना पद उस तारीख से रिक्त कर दिया है जिसको कि ऐसा व्यक्ति शपथ लेता है या ऐसे अन्य पद का प्रभार ग्रहण करता है और यह समझा जाएगा कि धारा ३८ के प्रयोजन के लिए ऐसे पूर्ववर्ती पद में आकस्मिक रिक्त हो गई है."

- धारा २७ का संशोधन. ७. मूल अधिनियम की धारा २७ में, उपधारा (१) में, शब्द "तीस दिन" के स्थान पर शब्द "पन्द्रह दिन" स्थापित किए जाएं.
- धारा ३० का संशोधन. ८. मूल अधिनियम की धारा ३० में, उपधारा (१) में, विद्यमान द्वितीय परंतुक में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कॉलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाए, अर्थात्:—
 "परन्तु यह भी कि यदि जिला पंचायत की बची हुई कालावधि छह माह से कम है तो, निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन प्रभावी नहीं होगा."
- धारा ३२ का संशोधन. ९. मूल अधिनियम की धारा ३२ में, उपधारा (५) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—
 "(५) यदि किसी जिला पंचायत का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्य, संसद के किसी भी सदन का सदस्य या राज्य विधान सभा का सदस्य या किसी सहकारी सोसायटी का सभापति या उपसभापति या किसी नगरपालिक निगम, नगरपालिका या नगर परिषद् का महापौर या अध्यक्ष या पार्षद हो जाता है, तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने यथास्थिति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में अपना पद उस तारीख से रिक्त कर दिया है जिसको कि ऐसा व्यक्ति शपथ लेता है या ऐसे अन्य पद का प्रभार ग्रहण करता है और यह समझा जाएगा कि ऐसे पूर्ववर्ती पद में धारा ३८ के प्रयोजन के लिए आकस्मिक रिक्त हो गई है."
- धारा ३४ का संशोधन. १०. मूल अधिनियम की धारा ३४ में उपधारा (१) में, शब्द "तीस दिन" के स्थान पर, शब्द "पन्द्रह दिन" स्थापित किए जाएं.
- धारा ३८ का संशोधन. ११. मूल अधिनियम की धारा ३८ में, उपधारा (१) में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—
 "(क) किसी पंचायत पदाधिकारी की पदावधि का अवसान होने के पूर्व उसकी मृत्यु हो जाने या उसके द्वारा त्याग पत्र दिये जाने या उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने या उसको हटा दिये जाने या उसके राज्य विधान सभा का सदस्य या संसद के किसी सदन का सदस्य हो जाने या किसी नगरपालिक निगम, नगरपालिका या नगर परिषद् या महापौर या अध्यक्ष या पार्षद हो जाने की दशा में यह समझा जाएगा कि ऐसे पद में आकस्मिक रिक्त हो गई है और ऐसी रिक्ति इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निर्वाचन द्वारा यथाशक्य शीघ्र भरी जाएगी."
- धारा ४९-क का संशोधन. १२. मूल अधिनियम की धारा ४९-क में, खण्ड (एक) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खण्ड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—
 "(दो) गौशाला तथा कांजी हाऊस स्थापित करना तथा उसका प्रबंध करना और भटके हुए पशुओं की उचित देखरेख करना;"
- धारा १२५ का संशोधन. १३. मूल अधिनियम की धारा १२५ में, उपधारा (१) में, विद्यमान परन्तुक में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कॉलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात्:—
 "परन्तु यह और कि यदि किसी ग्राम पंचायत की बची हुई कालावधि छह माह से कम है तो ऐसा परिसीमन प्रभावी नहीं होगा."
- धारा १२६ का संशोधन. १४. मूल अधिनियम की धारा १२६ में, उपधारा (१) में, विद्यमान परन्तुक में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कॉलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात्:—
 "परन्तु यह और कि यदि ग्राम पंचायत का सम्पूर्ण क्षेत्र, किसी नगर परिषद् या नगरपालिका या नगरपालिक निगम में सम्मिलित किया जाता है तो ऐसी ग्राम पंचायत उस तारीख से, विघटित की गई समझी जाएगी जिसको कि उस वार्ड का पार्षद जिसमें कि ग्राम पंचायत का उक्त क्षेत्र सम्मिलित किया गया है, निर्वाचित होता है:

परन्तु यह भी कि जहां ग्राम पंचायत का कोई भाग, किसी नगरपरिषद्, नगरपालिका या नगरपालिक निगम में सम्मिलित किया गया है और वार्डों की न्यूनतम संख्या कम होती है तब ऐसी ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत की कालावधि के पूर्ण होने तक कार्य करती रहेगी.”

१५. मूल अधिनियम की धारा १२७ में, उपधारा (१) में, विद्यमान द्वितीय परन्तुक में, पूर्ण विराम के स्थान पर, धारा १२७ का कॉलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात्:— संशोधन.

“परन्तु यह भी कि यदि ग्राम पंचायत का क्षेत्र जनपद पंचायत के किसी निर्वाचन क्षेत्र के भीतर आता है और जिला पंचायत के किसी निर्वाचन क्षेत्र के भीतर भी आता है, तब जनपद पंचायत का निर्वाचन क्षेत्र जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र के भीतर आएगा:

परन्तु यह भी कि यदि ऐसी जनपद पंचायत की बची हुई कालावधि छह माह से कम है, तो जनपद पंचायत के मुख्यालय का परिवर्तन या निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन प्रभावी नहीं होगा.”

भोपाल, दिनांक 10 जुलाई 2019

क्र. 11817-167-इक्कीस-अ(प्रा.)-अधि.-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अधिनियम, 2019 (क्रमांक 7 सन् 2019) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

**MADHYA PRADESH ACT
NO. 7 OF 2019**

**THE MADHYA PRADESH PANCHAYAT RAJ AVAM GRAM SWARAJ
(SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2019**

TABLE OF CONTENTS

Sections:

1. Short title.
2. Amendment of Section 12.
3. Amendment of Section 17.
4. Amendment of Section 20.
5. Amendment of Section 23.
6. Amendment of Section 25.
7. Amendment of Section 27.
8. Amendment of Section 30.
9. Amendment of Section 32.
10. Amendment of Section 34.
11. Amendment of Section 38.
12. Amendment of Section 49-A.
13. Amendment of Section 125.
14. Amendment of Section 126.
15. Amendment of Section 127.

**MADHYA PRADESH ACT
NO. 7 OF 2019**

**THE MADHYA PRADESH PANCHAYAT RAJ AVAM GRAM SWARAJ
(SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2019**

[Received the assent of the Governor on the 19th June, 2019; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 10th July, 2019.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventieth year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj (Sanshodhan) Adhiniyam, 2019.

Amendment of Section 12.

2. In Section 12 of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994) (hereinafter referred to as the principal Act), in the existing second proviso, for full stop, colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely :—

"Provided also that no delimitation of wards shall be effected if the remaining term of the Gram Panchayat is less than six months."

Amendment of Section 17.

3. In Section 17 of the principal Act, for sub-section (7), the following sub-section shall be substituted, namely :—

"(7) If a Sarpanch or Up-Sarpanch or Panch becomes the member of either House of Parliament or a member of the State Legislative Assembly or Chairman or Vice-Chairman of a co-operative society or Mayor or President or Councillor of any Municipal Corporation, Municipality or Nagar Parishad, he shall be deemed to have vacated his office as Sarpanch or Up-Sarpanch or Panch, as the case may be, with effect from the date such person takes oath or assumes charge of such other office and a casual vacancy shall be deemed to have occurred in such previous office for the purpose of Section 38."

Amendment of Section 20.

4. In Section 20 of the principal Act, in sub-section (1), for the figure and word "30 days", the figure and word "15 days" shall be substituted.

Amendment of Section 23.

5. In Section 23 of the principal Act, in sub-section (1), in the existing second proviso, for full stop, colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely :—

"Provided also that no delimitation of constituency shall be effected if the remaining term of the Janpad Panchayat is less than six months."

Amendment of Section 25.

6. In Section 25 of the principal Act, for sub-section (5), the following sub-section shall be substituted, namely :—

"(5) If a President or Vice-President or member of Janpad Panchayat becomes a member of either House of Parliament or a Member of the State Legislative Assembly or Chairman or Vice-Chairman of a co-operative society or Mayor or President or Councillor of any Municipal Corporation, Municipality or Nagar Parishad he shall be deemed to have vacated his office as President, Vice-President or Member, as the case may be, with effect from the date such person takes oath or assumes charge of such other office and a casual vacancy shall be deemed to have occurred in such previous office for the purpose of Section 38."

7. In Section 27 of the principal Act, in sub-section (1), for the words "thirty days", the words "fifteen days" shall be substituted. **Amendment of Section 27.**

8. In Section 30 of the principal Act, in sub-section (1), in existing second proviso, for full stop, colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely :— **Amendment of Section 30.**

"Provided also that no delimitation of constituency shall be effected if the remaining term of the Zila Panchayat is less than six months."

9. In Section 32 of the principal Act, for sub-section (5), the following sub-section shall be substituted, namely :— **Amendment of Section 32.**

"(5) If a President or Vice-President or member of Zila Panchayat becomes a member of either House of Parliament or a Member of the State Legislative Assembly or Chairman or Vice-Chairman of a co-operative society or Mayor or President or Councillor of any Municipal Corporation, Municipality or Nagar Parishad, he shall be deemed to have vacated his office as President, Vice-President or Member, as the case may be, with effect from the date such person takes oath or assumes charge of such other office and a casual vacancy shall be deemed to have occurred in such previous office for the purpose of section 38."

10. In Section 34 of the principal Act, in sub-section (1), for the words "thirty days", the words "fifteen days" shall be substituted. **Amendment of Section 34.**

11. In Section 38 of the principal Act, in sub-section (1), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:— **Amendment of Section 38.**

"(a) In the event of death, resignation, no confidence motion being passed or removal of an office bearer of Panchayat or on his becoming a member of State Legislative Assembly or a member of either House of Parliament or Mayor or President or councillor of any Municipal Corporation, Municipality or Nagar Parishad, before the expiry of his term, a casual vacancy shall be deemed to have occurred in his office and such vacancy shall be filled as soon as may be by election in accordance with the provisions of the Act."

12. In Section 49-A of the principal Act, after clause (i), the following new clause shall be inserted, namely:— **Amendment of Section 49-A.**

"(ii) establish and manage cow shelter homes and cattle pounds and to take proper care of stray cattle;"

13. In Section 125 of the principal Act, in sub-section (1), in the existing proviso, for full stop, colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely:— **Amendment of Section 125.**

"Provided further that no such change shall be effected if remaining term of Gram Panchayat is less than six months."

14. In Section 126 of the principal Act, in sub-section (1), in the existing proviso, for full stop, colon shall be substituted and thereafter the following provisos shall be added, namely:— **Amendment of Section 126.**

"Provided further that if the entire area of Gram Panchayat is included in Nagar Parishad or Municipality or Municipal corporation, then such Gram Panchayat shall be deemed to have disestablished from the date on which the Councillor of such ward is elected in which the said area of that Gram Panchayat has been included:

Provided also that where any part of Gram Panchayat has been included in Nagar Parishad, Municipality or Municipal Corporation and the minimum number of wards become less, then such Gram Panchayat shall continue to function until the completion of the term of Gram Panchayat.”.

**Amendment of
Section 127.**

15. In Section 127 of the principal Act, in sub-section (1), in the existing second proviso, for full stop, colon shall be substituted and thereafter the following, provisos shall be added, namely:—

“Provided further that if the area of a Gram Panchayat falls within the area of a constituency of Janpad Panchayat and also within the area of a constituency of Zila Panchayat, then the area of a constituency of Janpad Panchayat shall fall within the constituency of the Zila Panchayat:

Provided also that no change of headquarters of Janpad Panchayat or change in limits of constituency shall be effected if the remaining term of such Janpad Panchayat is less than six months.”.